

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 517]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्र. 24650-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और विक्रय का विनियमन विधेयक, 2011 (क्रमांक 33 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 25 नवम्बर, 2011 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३३ सन् २०११

मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और विक्रय का विनियमन
विधेयक, २०११

विषय-सूची

खण्ड :

अध्याय—एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.

खण्ड :

अध्याय—दो
पथ विक्रय के लिए स्कीम

३. पथ विक्रेताओं के लिए स्कीम.

अध्याय—तीन
नगर विक्रय समिति

४. नगर विक्रय समिति.
५. नगर विक्रय समिति की बैठक.
६. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नगर विक्रय समिति के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन.
७. नगर विक्रय समिति के कार्यालय के लिए स्थान तथा अन्य कर्मचारी.
८. वार्ड विक्रय समितियों का गठन.
९. नगर विक्रय समिति के कृत्य.
१०. वार्षिक लेखा विवरण का प्रकाशन.

अध्याय—चार
पथ विक्रेताओं का रजिस्ट्रीकरण

११. पथ विक्रेताओं का रजिस्ट्रीकरण.
१२. रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं को स्टालों का आबंटन.
१३. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना.

अध्याय—पांच
स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य

१४. स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य.

अध्याय—छह
योजना प्राधिकारी के कर्तव्य

१५. योजना प्राधिकारी के कर्तव्य.

अध्याय—सात
शर्तों का भंग और शास्ति

१६. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन.
१७. स्टाल का आबंटन, अनुज्ञप्ति आदि का रद्दकरण या निलंबन.
१८. उल्लंघनों के लिए शास्ति.

अध्याय—आठ
प्रकीर्ण

१९. विवरणियां.
२०. प्रोत्साहन संबंधी उपाय.
२१. गवेषणा प्रशिक्षण तथा जागरूकता.
२२. उपविधियां बनाने की शक्ति.
२३. नियम बनाने की शक्ति.
२४. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३३ सन् २०११

मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और विक्रय का विनियमन विधेयक, २०११

नगरीय पथ विक्रेताओं की जीविका का संरक्षण करने और पथ विक्रय को विनियमित करने तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय—एक

प्रारंभिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और विक्रय का विनियमन अधिनियम, २०११ है.

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार केवल मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय नगरीय प्राधिकारियों के क्षेत्रों पर होगा.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

(क) “धारण क्षमता” से अभिप्रेत है, पथ विक्रेताओं की वह अधिकतम संख्या जो कि किसी विक्रय परिक्षेत्र में समायोजित हो सके;

(ख) “योजना प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, समुचित सरकार द्वारा अभिहित किसी नगर या शहर में, मास्टर प्लान या विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना या अभिन्यास या स्थान-विषयक ऐसी किसी अन्य योजना में, जो लागू नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम या नगरपालिक अधिनियम के अधीन विधिक रूप से प्रवर्तनीय हो, किसी विशिष्ट गतिविधि के लिए, क्षेत्रों के ठीक-ठीक विस्तार को परिभाषित करते हुए, भू-उपयोग को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी कोई नगरीय विकास प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी;

(ग) “स्कीम” से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन राज्य सरकार द्वारा विरचित स्कीम;

(घ) “विनिर्दिष्ट” से अभिप्रेत है, स्कीम द्वारा यथाविनिर्दिष्ट;

(ङ) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(च) “राज्य नोडल अधिकारी” से अभिप्रेत है राज्य में नगरीय पथ विक्रय से संबंधित समस्त विक्रयों का समन्वय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पदाविहित किया गया कोई अधिकारी;

(छ) “पथ विक्रेता” से अभिप्रेत है किन्हीं वस्तुओं, माल, मिट्टी के बर्तन, खाद्य पदार्थ या प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वाणिज्यिक वस्तुओं के पथ विक्रय में लगा हुआ या आम जनता को किसी पथ, लेन, पार्श्वमार्ग, फुटपाथ, फर्श, सार्वजनिक पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान से या निजी क्षेत्र या

अस्थायी रूप से निर्मित किसी संरचना से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम-घूम कर सेवाएं देने वाला व्यक्ति और उसमें सम्मिलित हैं फेरी वाले, खोमचे वाले, आवादकार तथा उसके अन्य समानार्थी पद जो स्थानीय या क्षेत्र विशेष के हो सकते हैं तथा शब्द "पथ विक्रय" का उसके व्याकरणिक रूप भेदों तथा सजातीय अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

- (ज) "नगर विक्रय समिति" से अभिप्रेत है, धारा ४ के अधीन स्थानीय नगरीय प्राधिकारी द्वारा गठित किया गया निकाय;
- (झ) "विक्रय परिक्षेत्र" से अभिप्रेत है, पथ विक्रेताओं द्वारा पथ विक्रय के लिए विशिष्ट उपयोग हेतु योजना प्राधिकारी द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र या जगह या स्थान और उसमें सम्मिलित हैं, फुटपाथ, पाशवमार्ग, फर्श, तटबंध, किसी पथ के भाग, जनता के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र या कोई ऐसी जगह जिसे विक्रय की गतिविधियों के लिए और आम जनता को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त समझा गया हो.
- (ञ) "स्थानीय नगरीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के उपबंधों के अधीन गठित नगरपालिक निगम और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के उपबंधों के अधीन गठित नगरपालिकाएं और नगर परिषद्.

(२) इस अधिनियम में किसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति किए गए किसी निर्देश का, उस क्षेत्र के संबंध में, जिसमें कि ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबंध प्रवर्तन में न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के प्रति, यदि कोई हो, किया गया निर्देश है.

अध्याय—दो

पथ विक्रय के लिए स्कीम

पथ विक्रेताओं के लिए स्कीम.

३. (१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, स्थानीय नगरीय अधिकारी, अधिसूचना द्वारा, अपनी-अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में स्कीम विरचित करेंगे, जिनके निम्नलिखित समस्त या उनमें से कोई विषय विनिर्दिष्ट हो सकेंगे, अर्थात्:—

- (क) पथ विक्रेताओं को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिए जाने, उसका नवीकरण किए जाने, उसे निलंबित या रद्दकरण का प्ररूप और रीति तथा पहचान-पत्र जारी किया जाना;
- (ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिए जाने तथा उसके नवीकरण के लिए शुल्क की वसूली और संग्रहण की रीति तथा रजिस्ट्रीकरण के निबंधन तथा शर्तों और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के उल्लंघन के लिए जुर्माने;
- (ग) पथ विक्रेताओं के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में, स्थानीय प्राधिकरण को, अपीलें फाइल करने का प्ररूप और रीति तथा उसके द्वारा अपीलों के निराकरण की प्रक्रिया;
- (घ) रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं को स्टालों के आवंटन की रीति तथा उसके निबंधन और शर्तें;
- (ङ) कोई अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने, उसका नवीकरण किए जाने, उसे निलंबित या रद्द किए जाने का प्ररूप और रीति;
- (च) कोई अनुज्ञप्ति दिए जाने तथा उसका नवीकरण किए जाने के लिए शुल्क की वसूली तथा संग्रहण की रीति तथा अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के उल्लंघन के लिए जुर्माने;
- (छ) किसी मास्टर प्लान, विकास योजना, परिक्षेत्रिक योजना, अभिन्यास योजना या किन्हीं अन्य स्थानीय योजनाओं में पथ विक्रेताओं के लिए विक्रय परिक्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए योजना प्राधिकरण द्वारा अपनाए जाने वाले स्थान विषयक योजना के मानक;

- (ज) प्रतिबंध-मुक्त-विक्रय परिक्षेत्रों, प्रतिबंधित-विक्रय-परिक्षेत्रों तथा विक्रय-निषिद्ध-परिक्षेत्रों, के रूप में विक्रय परिक्षेत्रों का निर्धारण करने के सिद्धान्त;
- (झ) वे शर्तें, जिनके अधीन निजी स्थानों को प्रतिबंध-मुक्त-विक्रय परिक्षेत्रों, प्रतिबंधित-विक्रय-परिक्षेत्रों तथा विक्रय-निषिद्ध-परिक्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकेगा;
- (ञ) विक्रय परिक्षेत्रों की धारण क्षमता अवधारित करने वाले सिद्धान्त तथा डिजिटल फोटोयुक्त व्यापक गणना करने की रीति और विक्रय परिक्षेत्रों की धारण क्षमता के भीतर पथ विक्रेताओं को जगह देने के प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों की सहायता से पथ विक्रेताओं की वर्तमान संख्या का सर्वेक्षण;
- (ट) पथ विक्रय के निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए पालन किए जाने वाले मानक सम्मिलित हैं;
- (ठ) राज्य स्तर पर पथ विक्रय से संबंधित समस्त मामलों का समन्वय किए जाने के लिए राज्य नोडल अधिकारी को पदाविहित किया जाना;
- (ड) पथ विक्रेताओं के संबंध में नगर विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण और राज्य नोडल अधिकारी द्वारा समुचित अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों का संधारण करने की रीति;
- (ढ) पथ विक्रेताओं को नोटिस देने और उन्हें बेदखल करने की रीति, स्टालों, माल तथा उपस्करों को जब्त करना, उन्हें विनष्ट करना अथवा उनका अधिग्रहण करना तथा बेदखल किए गए पथ विक्रेताओं को पुनः अवस्थित करना तथा उन्हें क्षतिपूर्ति संदाय करना;
- (ण) कोई अन्य विशिष्टियां जो राज्य सरकार द्वारा स्कीम में सम्मिलित किए जाने के लिए समुचित समझी जाएं.

(२) उपधारा (१) के अधीन स्थानीय नगरीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की गई स्कीम का सारांश, सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, कम के कम दो स्थानीय समाचार-पत्रों, में ऐसी रीति में, जैसी कि उपविधियों में विहित की जाए, प्रकाशित किया जाएगा.

अध्याय—तीन

नगर विक्रय समिति

४. (१) स्थानीय नगरीय प्राधिकारी एक नगर विक्रय समिति का गठन करेगा.

नगर विक्रय समिति.

(२) प्रत्येक नगर विक्रय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

- (क) यथास्थिति, नगरपालिक आयुक्त या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो चेयरपर्सन (अध्यक्ष) होगा; और
- (ख) योजना प्राधिकारी, यातायात पुलिस, स्थानीय पुलिस, पथ विक्रेता संगम, व्यापारियों के संगम, निवासी कल्याण संगम, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा ऐसे अन्य हितों का, जिन्हें कि वह उचित समझे, प्रतिनिधित्व करने वाले दस सदस्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

परंतु पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या के चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगी तथा ऐसे सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य महिला विक्रेताओं में से होंगे;

परंतु यह और कि ऐसे व्यक्तियों को भी युक्तियुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा जो शारीरिक दृष्टि से निःशक्त हों.

- (३) उपधारा (२) के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट चेयरपर्सन (अध्यक्ष) तथा सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जैसे कि स्थानीय नगरीय प्राधिकारी द्वारा बनाई गई उपविधियों में विहित किए जाएं.
- (४) उपधारा (२) के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट चेयरपर्सन (अध्यक्ष) और सदस्य जब तक कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उनका नामनिर्देशन पूर्व में ही समाप्त नहीं कर दिया जाता, उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे.

नगर विक्रय समिति की बैठक.

५. नगर विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर, ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में और अपने कृत्यों के निर्वहन की प्रक्रिया में ऐसे नियमों का पालन करेगी जो कि उपविधियों में विहित किए जाएं.

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नगर विक्रय समिति के साथ व्यक्तियों का अस्थायी सहयोजन.

६. (१) नगर विक्रय समिति, अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने में सहायता या सलाह की वांछा करे, ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो कि उपविधियों में विहित किए जाएं, सहयुक्त कर सकेगी.

(२) किसी प्रयोजन के लिए उपधारा (१) के अधीन इस प्रकार सहयुक्त व्यक्ति को उस प्रयोजन से सुसंगत चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे समिति की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा तथा वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा.

(३) उपधारा (१) के अधीन इस प्रकार सहयुक्त व्यक्ति को ऐसे भत्ते दिए जाएंगे, जैसा कि उपविधियों में विहित किए जाएं.

नगर विक्रय समिति के कार्यालय के लिए स्थान तथा अन्य कर्मचारी.

७. स्थानीय प्राधिकारी नगर विक्रय समिति को, कार्यालय के लिए समुचित स्थान तथा ऐसे अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो कि उपविधियों में विहित किए जाएं.

वार्ड विक्रय समितियों का गठन.

८. नगर विक्रय समिति, ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए, उतनी संख्या में वार्ड विक्रय समितियों का गठन कर सकेगी, जो कि उपविधियों में विहित की जाएं.

नगर विक्रय समिति के कृत्य.

९. स्थानीय प्राधिकारी नगर विक्रय समिति को निम्नानुसार कृत्य सौंप सकेगी, अर्थात्:—

- (क) पथ विक्रेताओं को, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो कि विनिर्दिष्ट किए जाएं, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाना, उनका नवीकरण, उन्हें निलंबित या रद्द करना ;
- (ख) पथ विक्रेताओं को, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो कि विनिर्दिष्ट किए जाएं, पहचान-पत्र जारी करना;
- (ग) स्थानीय प्राधिकारी के परामर्श से, बैंकों, स्थानीय प्राधिकारी के पटलों या नगर विक्रय समिति के पटलों के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण के लिए, चलित स्टालों को खड़ा करने के स्थान पर उपयोग के लिए तथा नागरिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए शुल्क संगृहीत करने की रीति अवधारित करना;
- (घ) विक्रय परिक्षेत्रों की पहचान और उन्हें निर्दिष्ट करना;
- (ङ) विक्रय परिक्षेत्रों में विक्रय के लिए समय विनिर्दिष्ट करना;
- (च) विक्रय के लिए निर्दिष्ट की गई भूमि, पथ, फुटपाथ, तटबंध, प्रतीक्षा क्षेत्र, पार्कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का ऐसी रीति में, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, अभिलेख संधारित करना;
- (छ) विक्रय परिक्षेत्रों का नियतकालिक सर्वेक्षण करना;

- (ज) पथ विक्रेताओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना और उन्हें संधारित करना;
- (झ) विक्रय परिक्षेत्रों में विभिन्न प्रवर्गों की स्थिर तथा चलित स्टालों के लिए मात्रात्मक मानक अवधारित करना;
- (ञ) प्रत्येक विक्रय परिक्षेत्र की अधिकतम धारण क्षमता निर्धारित और नियत करना;
- (ट) विनिर्दिष्ट रीति में, प्रतिबंध-मुक्त-विक्रय परिक्षेत्र, प्रतिबंधित विक्रय परिक्षेत्र तथा विक्रय निषिद्ध परिक्षेत्रों के रूप में विक्रय परिक्षेत्रों की पहचान करना और उनकी घोषणा करना;
- (ठ) विक्रय परिक्षेत्र के प्रकार, उसकी सीमाएं तथा विक्रय के समयों को उपदर्शित करने के लिए प्रत्येक विक्रय परिक्षेत्र में साइन बोर्ड लगाना;
- (ड) साप्ताहिक हाटों, रात्रिकालीन बाजारों, अवकाशकालीन बाजारों तथा त्यौहार-बाजारों के लिए विक्रय बाजारों का स्थान और समय घोषित करना;
- (ढ) विक्रय परिक्षेत्रों में उपलब्ध करवाई गई नागरिक सुख सुविधाओं जिनमें जल, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और विद्युत सम्मिलित हैं, की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- (ण) पथ विक्रेताओं के क्रियाकलापों की मानीटरिंग करना;
- (त) यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट स्वच्छता तथा सुरक्षा के मानकों को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाए रखा गया है;
- (थ) यह सुनिश्चित करना कि आबंटित किए गए स्टालों का, आबंटितियों द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया जा रहा है;
- (द) संस्थागत तंत्र के माध्यम से साख संबंधी जागरूकता बढ़ाना;
- (ध) पथ विक्रेताओं के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए मानक निश्चित करना;
- (न) मृत्यु, बीमारी या असमर्थता की दशा में पथ विक्रेताओं को, बीमा संबंधी फायदे, प्रसूति प्रसुविधाओं, वृद्धावस्था पेंशन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के फायदे उपलब्ध कराने के लिए निबन्धन और शर्तें निश्चित करना;
- (प) पथ विक्रेताओं द्वारा संगम स्व-सहायता समूह स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश अधिकथित करना;
- (फ) पथ विक्रेताओं के लिए, उन्हें उद्यमिता तथा तकनीकी और कारोबार संबंधी कौशल की जानकारी देने के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना;
- (ब) पथ विक्रेताओं के बीच शिकायतों को दूर करना तथा उनके विवादों का समाधान करना.

१०. नगर विक्रय समिति, अपना वार्षिक लेखा विवरण ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो कि उपविधियों में विहित की जाए, तैयार करेगी और प्रकाशित करेगी.

वार्षिक लेखा
विवरण का
प्रकाशन.

अध्याय—चार

पथ विक्रेताओं का रजिस्ट्रीकरण

११. (१) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति कि, जिसने १८ वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और जो पथ विक्रय का कार्य करने का आशय रखता हो, नगर विक्रय समिति द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा.

रजिस्ट्रीकरण के
लिए आवेदन.

(२) रजिस्ट्रीकरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा बनाई गई उपविधियों में विहित की जाए.

पथ विक्रेताओं को स्टालों का आवंटन.

१२. (१) स्थानीय प्राधिकारी, विक्रय परिक्षेत्रों में स्टालों के आवंटन में, रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं को अधिमान दे सकेगा.

(२) पथ विक्रेताओं को स्टालों का आवंटन ऐसी रीति में तथा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो कि विनिर्दिष्ट की जाएं.

स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना.

१३. किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेता को, जिसे किसी विक्रय परिक्षेत्र में स्टाल आवंटित किया गया हो, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, ऐसे शुल्क के भुगतान पर और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो कि विनिर्दिष्ट की जाएं, अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी और समय-समय पर नवीकृत की जाएगी.

अध्याय—पांच

स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य

स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य.

१४. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, स्थानीय प्राधिकारी निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी होगा,—

- (क) पथ विक्रेताओं के लिए स्कीम का पूर्ण रूप से पर्यवेक्षण व उसकी मानीटरिंग ;
- (ख) नगर विक्रय समिति के प्रभावी कार्यकरण की मानीटरिंग;
- (ग) पथ विक्रेताओं को विनिर्दिष्ट रीति में स्टालों का आवंटन;
- (घ) रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं को विनिर्दिष्ट रीति में अनुज्ञप्ति प्रदान करना, उसका नवीकरण करना, उसे निलंबित या रद्द करना;
- (ङ) पथ विक्रेताओं को, विक्रय परिक्षेत्रों में, नगर विक्रय समिति के परामर्श से नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिनमें सम्मिलित हैं,—
 - (एक) ठोस अपशिष्ट का निस्तारण;
 - (दो) स्वच्छता बनाए रखने की दृष्टि से सार्वजनिक शौचघर;
 - (तीन) विद्युत्;
 - (चार) पेयजल;
 - (पांच) पथ विक्रेताओं तथा उनके माल के संरक्षण के लिए आश्रय;
 - (छह) भण्डारण सुविधाएं, सौंदर्यीकरण, चिन्हों का स्थापन; और
 - (सात) ऐसी अन्य सुविधाएं जो पथ विक्रेताओं को आवश्यक हों और जो स्कीम में विनिर्दिष्ट हों;
- (च) नगर विक्रय समिति के परामर्श से, चलित स्टालों को खड़ा करने के स्थान के उपयोग के लिए तथा नागरिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए बैंकों, स्थानीय प्राधिकारी के पटलों तथा नगर विक्रय समिति के पटलों के माध्यम से, शुल्क संगृहीत करने की रीति अवधारित करना;
- (छ) नगर विक्रय समिति के परामर्श से, ऐसे विशेषज्ञों की सहायता से और ऐसी रीति में, जो कि विनिर्दिष्ट की जाएं, विक्रय परिक्षेत्रों की धारण क्षमता के भीतर पथा विक्रेताओं को जगह देने के प्रयोजन के लिए, पथ विक्रेताओं की डिजिटल फोटोयुक्त गणना तथा उनकी वर्तमान संख्या का व्यापक सर्वेक्षण कराना;
- (ज) पथ विक्रेताओं के संपूर्ण आंकड़े (डाटाबेस) अपनी वेबसाइट पर अधिसूचित करना और उसे नियमित अंतरालों पर अद्यतन करना.

अध्याय—छह

योजना प्राधिकारी के कर्तव्य

१५. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, योजना प्राधिकारी निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी होगा:—

योजना प्राधिकारी के कर्तव्य.

- (क) पथ विक्रय के लिए स्थान विषयक योजना के मानकों का अवधारण करना ;
- (ख) मास्टर प्लान, विकास योजना, परिक्षेत्रिक योजना, अभिन्यास योजना और किसी अन्य योजना में विक्रय परिक्षेत्रों के लिए स्थान चिन्हित करना;
- (ग) योजना के मानकों के संबंध में नगर विक्रय समिति के कार्यकरण को मॉनीटर करना;
- (घ) निर्दिष्ट विक्रय परिक्षेत्रों में पथ विक्रेताओं को जगह देने के लिए शहर या नगर मास्टर प्लान, विकास योजना, परिक्षेत्रिक योजना, अभिन्यास योजना और किसी अन्य योजना को संशोधित करना;
- (ङ) नगर या शहर की अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करते हुए विक्रय परिक्षेत्रों को सीमांकित करना;
- (च) ऐसे अन्य कर्तव्य या कर्तव्यों का निर्वहन करना, जो कि राज्य सरकार द्वारा उसे समय-समय पर समनुदेशित किए जाएं.

अध्याय—सात

शर्तों का भंग और शास्ति

१६. जहां अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई पथ विक्रेता या उसका कोई अधिकर्ता या सेवक उसकी किन्हीं शर्तों का या पथ विक्रय को विनियमित करने के प्रयोजन से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या स्कीमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों को भंग करता है, या जहां नगर विक्रय समिति का यह समाधान हो जाता है कि पथ विक्रेता द्वारा ऐसा रजिस्ट्रीकरण दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त किया गया है, तो नगर विक्रय समिति, किसी ऐसे जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अधीन पथ विक्रेता को उपगत हो, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि वह ठीक समझे, रद्द कर सकेगी या उसे निलंबित कर सकेगी:

रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन.

परंतु नगर विक्रय समिति द्वारा ऐसा रद्दकरण या निलंबन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पथ विक्रेता को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए.

१७. जहां ऐसा कोई पथ विक्रेता, जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई स्टाल आबंटित किया गया हो या कोई अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो या ऐसे विक्रेता का कोई अधिकर्ता या सेवक उसकी किन्हीं भी शर्तों को या पथ विक्रय को विनियमित करने के प्रयोजन से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या स्कीमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य निबन्धनों और शर्तों को भंग करता है या जहां स्थानीय प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पथ विक्रेता द्वारा यथास्थिति, स्टाल का ऐसा आबंटन या अनुज्ञप्ति दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त किए गए हैं तो स्थानीय प्राधिकारी, किसी ऐसे जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अधीन पथ विक्रेता को उपगत हो, यथास्थिति, स्टाल के आबंटन या अनुज्ञप्ति को ऐसी कालावधि के लिए, जैसी कि वह ठीक समझे, रद्द कर सकेगा या उसे निलंबित कर सकेगा:

स्टाल का आबंटन, अनुज्ञप्ति आदि का रद्दकरण या निलंबन.

परंतु स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसा रद्दकरण या निलंबन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पथ विक्रेता को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए.

१८. यदि कोई पथ विक्रेता—

उल्लंघनों के लिए शास्ति.

- (क) ऐसी वस्तुओं का विक्रय करता है जो कि लोक स्वास्थ्य के लिए अपायकर हों;

- (ख) रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करता है;
- (ग) स्टाल के आबंटन या अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करता है; या
- (घ) पथ विक्रय को विनियमित करने के प्रयोजन से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या स्कीमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसी शास्ति का, जो दो सौ रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच सौ रुपये तक की हो सकेगी, दायी होगा, जैसी कि यथास्थिति, नगर विक्रय समिति या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए.

अध्याय—आठ

प्रकीर्ण

विवरणियां.

१९. प्रत्येक नगर विक्रय समिति, समय-समय पर, स्थानीय प्राधिकारी को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगी जो कि उपविधियों में विहित की जाएं.

प्रोत्साहन संबंधी उपाय.

२०. राज्य सरकार, नगर विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकारी, योजना अधिकारी, तथा पथ विक्रेता संगमों या संघों के परामर्श से पथ विक्रेताओं के लिए साख उपलब्ध कराने, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याण स्कीमों के प्रोत्साहन संबंधी उपाय कर सकेगी.

गवेषणा, प्रशिक्षण तथा जागरूकता.

२१. राज्य सरकार, वित्तीय तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक,—

- (क) इस अधिनियम के अधीन परिकल्पित अधिकारों का प्रयोग कैसे हो तथा पथ विक्रेताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का विकास तथा गठन कर सकेगी;
- (ख) ज्ञान की वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से अनौपचारिक सेक्टर की तथा विशिष्टतया पथ विक्रेताओं की भूमिका को समझने के लिए तथा नगर विक्रय समितियों के माध्यम से जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए गवेषणा, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर सकेगी.

उपविधियां बनाने की शक्ति.

२२. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या स्कीम के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, स्थानीय प्राधिकारी, निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करने हेतु उपविधि बना सकेगा, अर्थात्:—

- (क) प्रतिबंध-मुक्त-विक्रय परिक्षेत्रों, प्रतिबंधित-विक्रय परिक्षेत्रों तथा निर्दिष्ट विक्रय परिक्षेत्रों में विक्रय का विनियमन तथा उसकी रीति;
- (ख) विक्रय परिक्षेत्रों में करों तथा शुल्क के संग्रहण का विनियमन;
- (ग) विक्रय परिक्षेत्रों में यातायात का विनियमन;
- (घ) विक्रय परिक्षेत्रों में नागरिक सेवाओं का विनियमन;
- (ङ) धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन स्कीम का सारांश प्रकाशित करने की रीति;
- (च) धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन चेयरपर्सन (अध्यक्ष) तथा सदस्यों के भत्ते;
- (छ) धारा ५ के अधीन बैठक का समय तथा स्थान, बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया तथा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;
- (ज) वह रीति तथा प्रयोजन जिसके लिए धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन कोई व्यक्ति सहयुक्त हो सकेगा;
- (झ) धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन सहयुक्त व्यक्ति के भत्ते;

- (ज) धारा ७ के अधीन नगर विक्रय समिति के अन्य कर्मचारी;
- (ट) धारा ८ के अधीन वार्ड विक्रय समितियों के गठन की रीति तथा प्रयोजन और उनकी संख्या;
- (ठ) धारा १० के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने तथा प्रकाशित करने के लिए प्ररूप तथा रीति;
- (ड) धारा १९ के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणियां; और
- (ढ) विक्रय परिक्षेत्रों में ऐसे अन्य विषयों का विनियमन, जो कि आवश्यक हों।

२३. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, स्कीम तथा उपविधि, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब सत्र चालू हो, रखे जाएंगे।

२४. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकेगी: कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सम्पूर्ण राज्य में नगरीय क्षेत्रों और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत से लोग जनता के उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को बेचने के कार्य में लगे हुए हैं। विक्रेता आमतौर पर गरीब होते हैं और अपनी आजीविका चलाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। विक्रय की गतिविधियां अलग-अलग प्रकार की होती हैं और काफी बड़ी संख्या में, शहरों की जनता को उनसे उनकी आजीविका कमाने में सहायता मिलता है। काफी समय से यह अनुभव किया जा रहा था कि विक्रेताओं के हितों को सुरक्षित करने, साथ ही सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता बनाए रखने जैसे विषयों को विनियमित करने की दृष्टि से इन गतिविधियों को व्यापक रूप से विनियमित किया जाना आवश्यक है। यह विनिश्चय किया गया है कि व्यवस्थित व विधिसम्मत पथ विक्रय गतिविधियों का उपबंध करने व उन्हें प्रोत्साहित करने तथा ऐसी गतिविधियों को विधिक हैसियत देने के लिए एक ऐसी यथोचित अधिनियमिति बनाई जाए जिसमें उन्हें उनका माल विक्रय करने के लिए शहरी सीमाओं में निर्विघ्न व उत्पीड़न मुक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए शहरों के मास्टर प्लान/विकास योजनाओं में उपबंध किए जाने के प्रावधान हों। ऐसे विधिक उपबंधों से विक्रेताओं को नागरिक सुविधाएं मिलना सुनिश्चित होगा तथा वे उन्हें उनका माल विक्रय करने के लिए एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में भी सहायक होंगे। इसी प्रकार ये उपबंध व्यापक क्रियाकलाप वाले क्षेत्रों में लोगों के आने जाने में बाधा डालने की अनधिकृत गतिविधियों को विनियमित करेंगे और सार्वजनिक स्थानों पर अस्वच्छता से बचा जा सकेगा।

२. विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सलाह को मानते हुए, केन्द्र सरकार ने नगरीय पथ विक्रेताओं पर एक राष्ट्रीय नीति विरचित की है और इस पर आधारित विधेयक का एक आदर्श प्रारूप, राज्यों को, पथ विक्रेताओं को उत्पीड़न मुक्त तथा न्यायोचित रीति में ईमानदार जीवन बिताने में समर्थ बनाने की दृष्टि से भेजा है।

३. उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से, मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और विक्रय का विनियमन विधेयक, २०११ प्रस्तावित किया जा रहा है।

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल:

तारीख १८ नवम्बर, २०११.

बाबूलाल गौर

भारसाधक सदस्य.

वित्तीय ज्ञापन

मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और विक्रय का विनियमन विधेयक, २०११ के प्रभावशील होने की दशा में राजकोष पर कोई वित्तीय भार अंतर्ग्रस्त नहीं होगा. अधिनियम के प्रशासन के क्रियान्वयन में सभी प्रकार के व्यय नगरीय निकायों द्वारा अपनी निधि से वहन किये जावेंगे.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

- | | |
|------------|--|
| खण्ड १ (३) | अधिनियम को प्रवृत्त करने की तिथि अधिसूचित किये जाने; |
| खण्ड ३ | स्थानीय नगरीय प्राधिकारी द्वारा स्कीम के विरचित करने की रीति; |
| खण्ड ४ | नगर विक्रय समिति का गठन, चेयरपर्सन तथा सदस्यों के भते सुनिश्चित किये जाने; |
| खण्ड-५ | नगर विक्रय समिति की बैठकों के संव्यवहार तथा कृत्यों के निर्वहन की प्रक्रिया; |
| खण्ड-६ | नगर विक्रय समिति के उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रक्रिया; |
| खण्ड-७ | स्थानीय प्राधिकारी नगर विक्रय समिति को कार्यालय एवं कर्मचारी उपलब्ध कराने; |
| खण्ड-८ | नगर विक्रय समितियों द्वारा वार्ड विक्रय समितियों की संख्या का निर्धारण तथा गठन; |
| खण्ड ९ | नगर विक्रय समिति के कृत्यों का विनियोजन; |
| खण्ड-१० | वार्षिक लेखा विवरण के प्रकाशन; |
| खण्ड-११ | पथ विक्रेताओं के पंजीयन की रीति; |
| खण्ड-१२ | पथ विक्रेताओं को स्टालों के आवंटन की रीति; |
| खण्ड-१३ | पथ विक्रेताओं के लिये विक्रय परिक्षेत्र में स्थानों के आवंटन की शुल्क का निर्धारण, निबन्धन तथा नवीनीकरण; |
| खण्ड-१४ | स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्धारण; |
| खण्ड-१६ | रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण एवं निलंबन की रीति; |
| खण्ड-२२ | स्कीम के उपबन्धों के अध्यक्षीन उपविधि बनाने के; |
| खण्ड-२३ | अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की रीति; |
| खण्ड-२४ | अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में उद्भूत कठिनाइयों को दूर करने; |

के संबंध में शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.